दिनाँक 23 नवम्बर, 2015 को सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 120वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

1.	श्री संजय अग्रवाल	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	प्रबन्ध निदेशक
3.	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	निदेशक
4.	श्री एस0के0 अग्रवाल	निदेशक(वित्त) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
5.	श्री कृष्ण मुरारी मित्तल	निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
6.	श्री रामानन्द यादव	निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) एवं निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0),उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
7.	श्री एच0के0 अग्रवाल	कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	संयोजक

कम्पनी सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि श्री विशाल चौहान, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन एवं श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक(वाणिज्य) अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। निदेशक-मण्डल ने इसे संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त निदेशकों को 'लीव ऑफ एबसेन्स' स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
120(01) दिनाँक 20 अक्टूबर, 2015 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 119वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	120(01) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
120(02) Appointment of Independent Directors in the Company under the provisions of the Companies Act 2013.	120(02) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रदेश के पावर सेक्टर की अन्य कम्पनियों में Independent Director नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में M/s Amit Gupta & Associates, practising Company Secretary से प्राप्त विधिक राय दिनांक 15–10–2015 को संज्ञान में लेते हुए एवं विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:– "निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रदेश के पावर सेक्टर की अन्य कम्पनियों में कम्पनी अधिनियम 203 की धारा 149 एवं भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी रूल्स के सापेक्ष उनके अनुपालन हेतु Independent Director की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रकरण को प्रशासनिक विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन को संबंधित धाराओं एवं नियमों के साथ संदर्भित करते हुए अनुरोध कर लिया जाय कि उनके द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये जायें जिससे तदनुसार कार्यवाही की जा सके।"

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
120(03) Appointment of Woman Director in the Company under the provisions of the Companies Act 2013.	120(03) निदेशक मण्डल ने श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 शासन, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में नोमनी एवं महिला निदेशक के रूप में तैनात हैं, के द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16–11–2015 को संज्ञान में लेते हुए निम्न निर्णय लिये:– "निदेशक मण्डल ने श्रीमती नीरजा कृष्णा, संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 शासन, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में नोमनी एवं महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हैं तथा दिनांक 30–11–2015 को शासन की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रही हैं, के फलस्वरूप उनका त्यागपत्र दिनांक 30–11–2015 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 01–12–2015 से श्रीमती नीरजा कृष्णा को निगम के निदेशक मण्डल में महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।"
120(04) मुख्य–मुख्य समीष्टों के निष्पादन की माह जुलाई, 2015 की स्थिति।	120(04) निदेशक मण्डल द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि दिनांक 13–06–2014 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 105वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि मुख्य–मुख्य समीष्टों के निष्पादन की सूचना भविष्य में निदेशक(वाणिज्य) द्वारा प्रस्तुत की जाया करेगी परन्तु वर्तमान में भी यह एजेण्डा प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी प्रकार निदेशक मण्डल की 116वीं बैठक जो दिनांक 26–06–2015 को सम्पन्न हुयी थी, में निर्णय लिया गया था कि मुख्य–मुख्य समीष्टों के निष्पादन के एजेण्डों में प्रत्येक त्रैमास के लिये एफ0आर0पी0 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों की सूचना प्रस्तुत की जायेगी परन्तु इन आदेशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। निदेशक मण्डल ने निर्देशित किया कि निदेशक(वाणिज्य) अगली निदेशक मण्डल की बैठक में दिनांक 30–06–2015 एवं 30–09–2015 को समाप्त हुए त्रैमासों की सूचना के साथ लिये गये निर्णयानुसार मुख्य–मुख्य समीष्टों से संबंधित एजेण्डा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
120(05) आर–एपीडीआरपी (पार्ट–ए) आई0टी0 प्रणाली के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की प्रारम्भ–तिथि विस्थापन के फलस्वरूप विगत वर्ष के अग्रिम भुगतान पर ब्याज समायोजन की शर्त को शिथिल किये जाने संबंधित एच.सी.एल. टैकनोलोजी के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।	120(05) आर–एपीडीआरपी आई0टी0 प्रणाली के वार्षिक अनुरक्षण हेतु एच.सी.एल टैकनोलाजी के अनुरक्षण अनुबंध को अग्रेतर वर्ष के लिये नवीनीकृत करने के प्रस्ताव पर उ.प्र.पा.का.लि. के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 26 जून 2015 की बैठक में कार्यवृत्त संख्या 508/पाकालि/बैठक(117)(8)/2015 दिनांक 03–07–2015 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था : *"विगत वार्षिक अनुबंध (2014–15) में आंशिक संशोधन करते हुए कस्टमर केयर सेन्टर एवं एण्ड लोकेशन (End Location) के आई0टी उपकरणों हेतु अनुरक्षण की प्रारम्भ तिथि को क्रमशः 12 अगस्त 2014 एवं 31 जनवरी 2015 निर्धारित किये जाने एवं फलस्वरूप उक्त प्रारम्भ तिथियों से पूर्व एण्ड लोकेशन तथा कस्टमर केयर सेंटर*

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	अनुरक्षण कार्य के सापेक्ष दी गयी अग्रिम धनराशि पर नियमानुसार 15 % वार्षिक ब्याज दर के आधार पर ब्याज की धनराशि का समायोजन अग्रेतर वर्ष हेतु देय अनुरक्षण धनराशि में से किये जाने का निर्णय लिया गया।" निदेशक मण्डल ने एच0सी0एल0 टेकनालोजी के प्रस्तुत प्रत्यावेदन, जिसके संदर्भ में एजेन्डा प्रस्तुत किया गया है, पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त निर्णय को शिथिल करते हुए अनुबंध की प्रारम्भ-तिथि विस्थापन के फलस्वरूप पूर्व वर्ष 2014-15 में निर्गत अग्रिम अनुरक्षण धनराशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को अग्रेतर वर्ष 2015-16 हेतु देय अग्रिम अनुरक्षण धनराशि में से समायोजित किये जाने की शर्त को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के फलस्वरूप कार्यवृत्त संख्या 508/पाकालि/बैठक(117)/2015 दिनांक 03.07.2015 द्वारा प्रदत्त निर्णय 117(8) उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा एवं कार्यवृत्त के शेष निर्णय यथावत रहेंगे।
120(06) विद्युत वितरण खण्ड, कासगंज के माह 01/1990 से 02/2002 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप कार्मिकों को पेंशन से कटौती के प्रदत्त दण्ड की निदेशक मण्डल हेतु सूचना।	120(06) निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, कासगंज के माह 01/1990 से 02/2002 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या 475 दिनांक 31-03-2012 व कार्यालय ज्ञाप संख्या 476 दिनांक 31-03-2012 द्वारा क्रमशः श्री देवीदास(75014), सहा0अभि0/अधि0अभि0 को देय पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती व श्री राम प्रकाश शर्मा(76536), सहा0अभि0 को देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती के प्रदत्त दण्ड को संज्ञान में लिया।
120(07) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्गत केस-1 बिडिंग गाइडलाइन्स के अन्तर्गत 2456 मेगावाट बेस लोड की प्राप्ति के लिये चयनित सेलर मे0 रिलायन्स पावर लि0 को अन्तिम समयावधि विस्तार दिये जाने के इनर्जी टास्क फोर्स के निर्णय के क्रम में अद्यतन स्थिति तथा निदेशक मण्डल के विचारार्थ टिप्पणी। बैठक में कम्पनी सचिव ने इस प्रकरण पर प्राप्त पूरक प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया।	120(07) निदेशक मण्डल ने विषयगत प्रकरण में पूर्व प्रेषित टिप्पणी के क्रम में प्रस्तुत पूरक प्रस्ताव को संज्ञान में लिया। मे0 रिलाइन्स पावर लि0 द्वारा पत्र दिनांक 03-11-2015 द्वारा किये गये अनुरोध "In view of the above force majeure events and considering the effect of aforesaid on feasibility of the Project we request you to allow us to withdraw our bid for supply of 2456 MW without any liability to any of the parties. We also request you to return to us our bid bond of Rs. 73.86 crore in original." पर प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों एवं स्थिति के दृष्टिगत निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया कि मे0 रिलाइन्स पावर लि0 को पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिये जायें कि वर्तमान स्थिति जिसको उनके द्वारा फोर्स मेज्योर स्थिति वर्णित किया जा रहा है, विधिक आधार प्रस्तुत करें। यह भी निर्देश दिये गये कि मे0 रिलाइस पावर लि0 द्वारा प्रतिउत्तर में प्राप्त तथ्यों के आधार पर निदेशक मण्डल के विचारार्थ अग्रेतर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
120(08) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अधिकृत अंशपूंजी रू0 60,000 करोड़ से बढ़ाकर रू0 75,000 करोड किये जाने के सम्बन्ध में।	120(08) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अधिकृत अंशपूंजी-को रू. 60000 करोड़ से बढ़ाकर रू. 75000 करोड़ करने का अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किये तथा इन प्रस्तावों पर निगम के अंशधारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये:– 1- RESOLVED that pursuant to the provisions of section 61 and 64 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules framed there under, the Authorised Share Capital of the Corporation be increased from Rs. 60,000 Crore divided into 60 Crore Equity Shares of Rs. 1000 each to Rs. 75000 Crore divided into 75 Crore Equity Shares of Rs. 1000 each ranking parri-passu with the existing Shares in the Corporation. 2- RESOLVED that pursuant to the provisions of section 13 and 61 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules framed there under the consent of the Shareholders be and is hereby accorded to substitute clause-V of the Memorandum of Association of the Corporation, for the words and figures as under:- **"The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 75000 Crore (Rupee Seventy five Thousand Crore) divided into 75 Crore (Seventy five Crore) Equity Shares of Rs. 1000 each."** 3- RESOLVED that pursuant to the provisions of section 14 and 61 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules framed there under the consent of the Shareholders be and is hereby accorded to substitute clause-4 of the Article of Association of the Corporation, for the words and figures as under:- **"The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 75000 Crore (Rupee Seventy five Thousand Crore) divided into 75 Crore (Seventy five Crore) Equity Shares of Rs.1000 each."** 4- FURTHER RESOLVED that Shri H.K. Agrawal, Company Secretary is hereby authorized to issue notice for holding of Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders for getting approval of the said resolution by the Shareholders of the Company.

CHAIRMAN'S INITIAL

<table>
<tr><th>विषय</th><th>निदेशक मण्डल का निर्णय</th></tr>
<tr><td>120(09)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अधिकृत अंश पूँजी बढ़ाने के सम्बन्ध में निगम के अंशधारियों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।</td><td>120(09)
निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अधिकृत अंश पूँजी बढ़ाने के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन निगम के अंशधारियों से प्राप्त करने हेतु निगम की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने का अनुमोदन प्रदान किया एवं बैठक आयोजित करने हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न नोटिस पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उसे जारी करने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव श्री एच0के0 अग्रवाल को अधिकृत किया तथा बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि अंशधारियों की बैठक अल्प अवधि सूचना पर आहूत की जाती है तो उसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।</td></tr>
<tr><td>120(10)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पंजाब नेशनल बैंक, बी0ओ0–मिड कारपोरेट ब्रांच, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ के बैंक खाता संख्या 7177002900000012 से दिनांक 25–03–2015 को आयकर विभाग लखनऊ द्वारा टी0डी0एस0 के विरूद्व रू0 2,82,29,487.00 की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>120(10)
निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पंजाब नेशनल बैंक, बी0ओ0–मिड कारपोरेट ब्रांच, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ के बैंक खाता संख्या 7177002900000012 से दिनांक 25–03–2015 को आयकर विभाग लखनऊ द्वारा वसूली गयी टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 2,82,29,487.00, जिसका विवरण निम्नवत है, की वापसी हेतु मेसर्स मृदुल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, श्री हरि टावर्स, तृतीय तल, मीराबाई मार्ग, लखनऊ को निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 251/उ0म0प्र0/का0टैक्स/2015 दिनांक 15–10–2015 द्वारा देय फीस रू0 तीन लाख पर नियुक्त करने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:–
<table>
<tr><th>निगम का नाम</th><th>धनराशि (रू0)</th></tr>
<tr><td>1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0</td><td>10282503.00</td></tr>
<tr><td>2. उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0</td><td>367162.00</td></tr>
<tr><td>3. मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0</td><td>1897597.00</td></tr>
<tr><td>4. पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0</td><td>15682225.00</td></tr>
<tr><td>कुल धनराशि</td><td>28229487.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>120(11)
डी0बी0एफ0ओ0ओ0 आधार पर 3800 मे0वा0 के दीर्घकालिक विद्युत क्रय हेतु बिड प्रक्रिया सम्पादित करने के लिये चयनित बिड प्रोसेस सलाहकार M/s Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited के स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाये जाने एवं तत्क्रम में देय फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।</td><td>120(11)
निदेशक मण्डल की दिनांक 26–06–2015 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में नियुक्त बिड प्रोसेस सलाहकार M/s Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited के प्रस्ताव में वर्णित कारणों हेतु स्कोप आफ वर्क में तीसरी बिड प्रक्रिया का क्रियान्वयन बढ़ाया जाना एवं तद हेतु उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा गठित नेगोशिएशन समिति की संस्तुति के आधार पर रू0 10.00 लाख (सेवाकर अतिरिक्त) की देय फीस निर्धारित किये जाने एवं तत्क्रम में सलाहकार को लेटर ऑफ एवार्ड के समक्ष Addendum निर्गत किये जाने को निदेशक मण्डल ने संज्ञान में लिया ।</td></tr>
</table>

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
120(12) उ0प्र0 शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता के शेयर जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	120(12) निदेशक मण्डल ने निम्न प्रस्ताव पारित किये:– 1. संकल्प लिया गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में किये गये कुल पूंजी निवेश रू0 6951,61,37,291/– के शेयर माहमहिम राज्यपाल, उ0प्र0 शासन के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया जाता हैं। 2. पुनः संकल्प लिया गया कि नकद प्राप्त अंशपूंजी रू0 1273,36,53,303/– (19,36,00,000+1254,00,53,303) के सापेक्ष 12733653 अंश का एक शेयर्स सर्टिफिकेट (प्रति अंश रू0 1,000/–) माहमहिम राज्यपाल, उ0प्र0 शासन के पक्ष में जारी किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। 3. पुनः संकल्प लिया गया कि समायोजन के माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में आवेदन अंशपूंजी के रूप में विनियोजित रू0 5678,24,83,988/– के सापेक्ष 56782483 अंश का एक शेयर सर्टिफिकेट Other than cash (प्रति अंश रू0 1,000/–) के रूप में माहमहिम राज्यपाल, उ0प्र0 शासन के पक्ष में जारी किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। 4. पुनः संकल्प लिया गया कि उपरोक्त शेयर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप मे श्री एच0के0 अग्रवाल, कार्यकारी कम्पनी सचिव व दो निदेशको को हस्ताक्षर कर शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। 5. उपरोक्त वर्णित शेयर सर्टिफिकेट पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के Article of Association के समबन्धित प्राविधानों के अनुसार कॉमन सील लगाये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया।
120(13) विद्युत अधिष्ठापन से बाहरी व्यक्तियों एवं पशुओं आदि की घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में अनुमन्य अनुग्रह धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	120(13) निदेशक मण्डल ने यह संज्ञान में लेते हुए कि वर्तमान में प्रदेश में प्रधानों के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण प्रदेश में आचार संहिता लागू है, प्रकरण को पुनः अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। यह भी निर्देशित किया कि अगली बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत करते समय यह भी विवरण एजेण्डे में प्रस्तुत किया जाय कि इस प्रकार के कितने प्रकरण गत वर्ष में एवं वर्तमान चालू वर्ष में घटित हुए हैं और साथ ही घातक मानवीय विद्युत दुर्घअना में प्रस्तावित रू0 दो लाख की क्षतिपूर्ति अनुग्रह धनराशि रू0 पाँच लाख करने पर विचार करते हुए एजेण्डा प्रस्तुत किया जाय।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
120(14) श्रीयुत श्रीकृष्ण पाल, अनुसेवक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0(मुख्यालय) की पत्नी स्व0 सीमा पाल की अन्तः रोगी के रूप में कृष्णा लाइफ लाइन हास्पिटल, तेलीबाग, लखनऊ में दिनाँक 31-10-2014 से 09-11-2014 तक करायी गयी चिकित्सा के व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे के सम्बन्ध में।	120(14) निदेशक मण्डल ने विशेष परिस्थितियों में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 195-औ0सं0 /2014-11(4)एफ/86(टी0सी0 2010) दिनांक 25.01.2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की पूतिपूर्ति की अनुमन्यता हेतु चिकित्सालय के सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में चिकित्सालय के रूप में पंजीकृत होने सम्बन्धित नियम को दृष्टान्त न बनाये जाने के उपबन्ध के साथ शिथिल करते हुए श्रीयुत श्रीकृष्ण पाल, अनुसेवक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0(मुख्यालय) की पत्नी स्व0 सीमा पाल की अन्तः रोगी के रूप में कृष्णा लाइफ लाइन हास्पिटल, तेलीबाग, लखनऊ में दिनाँक 31-10-2014 से 09-11-2014 तक करायी गयी चिकित्सा व्यय रू0 67,931/- की प्रतिपूर्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया।
120(15) अभियन्त्रण संवर्ग हेतु श्रेणीवार नवसृजित पदों के सम्बन्ध में।	120(15) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1954/24-पी-2-15-सा0(49)/15 दिनांक 10-11-2015 एवं पत्र संख्या 2037/24-पी-2-15-सा0(49)/15टी0सी0 दिनांक 10-11-2015 द्वारा विद्युत वितरण खण्डों हेतु अभियन्ता अधिकारियों के 392 नये पदों का सृजन एवं टी0जी0 ग्रेड-02 के 1702 नये पदों के सृजन तथा उनके सापेक्ष निगम द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1361 व 1363 दिनांक 10-11-2015 को संज्ञान में लिया। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 इन पदों को विभिन्न सहायक कम्पनियों को आवंटित करने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
120(16) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से अवर अभियन्ता के पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा प्रणाली से "साक्षात्कार" की प्राविधानित व्यवस्था समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	120(16) निदेशक मण्डल ने अवर अभियन्ता के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की परीक्षा प्रणाली से "साक्षात्कार" के प्राविधान को समाप्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। -
120(17) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।	120(17) प्रबन्ध निदेशक द्वारा बैठक में प्रस्तुत नियमावलियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई गयी जिसके परिप्रेक्ष्य में निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया कि पुनर्विचारोपरान्त सम्बंधित एजेण्डा अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
120(18) टी0जी0–2 एवं समूह–ग के अन्य पदों पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित कम्प्यूटर अर्हता के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 20–विनियम/पाकालि/13–09–विनियम/2001 टी0सी0 दिनांक 05–07–2013 का कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	120(18) टी0जी0–2 एवं समूह–ग के अन्य पदों पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित कम्प्यूटर अर्हता के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 20–विनियम/पाकालि/13–09–विनियम/2001 टी0सी0 दिनांक 05–07–2013 के कार्योत्तर अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्यालय ज्ञाप सं0 20–विनियम/पाकालि/13–09–विनियम/2001 टी0सी0 दिनांक 05–07–2013 का कार्योत्तर अनुमोदन इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया जाता है कि यह आदेश जारी होने की तिथि अर्थात दिनांक 05–07–2013 से 07–10–2015 तक के लिये प्रभावी माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

दिनाँक:
लखनऊ।

CHAIRMAN'S INITIAL